

कार्यालय— जितेन्द्र नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दमोह म.प्र.

-//आदेश//-

क्रमांक...../2023

दमोह, दिनांक 18.10.2023

मैं, जितेन्द्र नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह म.प्र. धारा 15(2) द.प्र.सं. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथानिर्देशित जिला मुख्यालय दमोह, तहसील न्यायालय हटा, तहसील न्यायालय पथरिया तथा तहसील न्यायालय तेंदूखेड़ा में निम्नानुसार माह के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में आवश्यक दार्डिक कार्य संपादन के लिए निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करता हूँ—

निम्नलिखित मजिस्ट्रेट द्वारा उनके नाम के आगे दर्शित अवकाश दिवस पर अपने न्यायालय कक्ष में अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य आवश्यक दार्डिक कार्य संपादित किए जाएंगे—

क	मजिस्ट्रेट का नाम	नवम्बर	सार्वजनिक अवकाश अवधि में मुख्यालय पर उपस्थित रहने वाले न्यायिक अधिकारीगण का नाम	अन्य अवकाश घोषित होने पर	रिमार्क
जिला मुख्यालय दमोह					
1	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह सी. जे.एम. दमोह	10.11.2023	1. श्री राममनोहर सिंह दांगी 2. श्री सुशील अग्रवाल		
2	श्री राममनोहर सिंह दांगी जे.एम.एफ.सी. दमोह	05.11.2023 11.11.2023	1. श्री राममनोहर सिंह दांगी 2. श्री सुशील अग्रवाल	माह नवम्बर	—
3	श्री सुशील कुमार अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. दमोह	12.11.2023 19.11.2023	1. श्री सुशील अग्रवाल 2. श्री राममनोहर सिंह दांगी 3. सुश्री दिव्या रामटेके (दिनांक 19.11.2023)		—
4	सुश्री दिव्या रामटेके जे.एम.एफ.सी. दमोह	13.11.2023 (स्वयं के अनुरोध पर) 18.11.2023	1. सुश्री दिव्या रामटेके 2. सुश्री सुनीता रावत		
5	सुश्री सुनीता रावत जे.एम.एफ.सी. दमोह	14.11.2023 17.11.2023	1. सुश्री सुनीता रावत 2. श्रीमती परिधि गुप्ता		—
6	श्रीमती परिधि गुप्ता जे.एम.एफ.सी. दमोह	15.11.2023 26.11.2023 27.11.2023	1. श्री राममनोहर सिंह दांगी (दिनांक 26 एवं 27) 2. श्री सुशील अग्रवाल (दिनांक 26 एवं 27) 3. श्रीमती परिधि गुप्ता 4. सुश्री सुनीता रावत		—

तहसील न्यायालय हटा					
6	श्री देवेन्द्र अतुलकर जे.एम.एफ.सी. हटा	05.11.2023 15.11.2023 17.11.2023		माह नवम्बर	—
7	श्रीमती दीप्ति ठाकुर जे.एम.एफ.सी. हटा	18.11.2023 19.11.2023 26.11.2023			—
8	श्री सुनील कुमार खरे जे.एम.एफ.सी. हटा	10.11.2023 11.11.2023 12.11.2023			—
9	श्री तेजसींग गौड़ जे.एम.एफ.सी. हटा	13.11.2023 14.11.2023 27.11.2023			—
तहसील न्यायालय पथरिया					
1	श्री राजेन्द्र बर्मन जे.एम.एफ.सी. पथरिया	समस्त अवकाश	समस्त अवकाश	माह नवम्बर	—
तहसील न्यायालय तेंदूखेड़ा					
1	श्री जगमोहन सिंह जे.एम.एफ.सी. तेंदूखेड़ा	समस्त अवकाश	समस्त अवकाश	माह नवम्बर	—

नोट :-1. उपरोक्त तालिका में संबंधित मजिस्ट्रेट यदि आकस्मिक अवकाश या किसी अन्य कारण से रिमांड कार्य संपादित करने में असमर्थ रहते हैं, तब उनके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपने प्रभार के मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित नहीं हो सकने की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार उनके कार्य का प्रभार जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगा तथा वे मुख्यालय पर उपस्थित होंगे तो उनके द्वारा संपादित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड कार्य करने में असमर्थ हैं और उनके स्थान पर अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड कार्य करवाने के लिए सहमत हैं तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में लिखित सूचना देकर और उनकी अनुमति से रिमांड ड्यूटी संपादित कर सकेंगे।

2. तहसील पथरिया एवं तेंदूखेड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश/मुख्यालय से बाहर होने की दशा में जिला मुख्यालय, दमोह में रिमांड कार्य निष्पादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड कार्य संपादित किया जाएगा।

3. समस्त रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमांड कार्य में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

(जितेन्द्र नारायण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.

1. कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा।
3. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं समस्त थाना प्रभारियों को सूचित किए जाने हेतु प्रेषित।

(जितेन्द्र नारायण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.